फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :– 46/2021

रामलाल ~~रामसहाय~~ बनाम सरकार

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.09.2021	तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पत्र कमांक/भू.अ/21/2219 दिनांक 20.09.2021 के द्वारा प्रार्थी रामलाल पुत्र सुवा जाति अहीर का प्रार्थना पत्र जाति शुद्धि किये जाने का पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र को राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थी की जाति विरासत का नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 29.01.1983 के आधार पर उक्त भूमि प्रार्थीगण रामलाल पुत्र सुवा, रामसहाय पुत्र सुवा के नाम विरासत का नामान्तकरण खोल दिया जिसमें में भी जाति अहीर का अंकन किया गया है, ततृपश्चात सम्वत 2053 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट होने के पश्चात उक्त खसरा नंबर 158 के वर्तमान खसरा नंबर 859, 860, 861, 862 बने गये, जिनमें सहवन से जाति अहीर के स्थान पर गुर्जर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजों में आवेदन का नाम रामलाल पुत्र सुवा जाति अहीर दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार भी जाति अहीर शुद्धि किये जाने की अनुसंशा की गयी है। जवाब सरकार रिपोर्ट पटवारी हल्का व प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम नैनूपुरा तहसील कोटखावदा के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 105 सम्वत 2073–76 में खातेदार रामलाल पुत्र सुवा हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर, एवं रामसहाय पुत्र सुवा, हिस्सा 1/8, जाति गुर्जर, के स्थान पर रामलाल पुत्र सुवा हिस्सा 1/8, जाति अहीर एवं रामसहाय पुत्र सुवा हिस्सा 1/8, जाति अहीर है। जिनमें जाति गुर्जर के स्थान पर अहीर राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	

D:\Office\CRT\ramlal 01vs sakrakr.docx

Scanned with CamScanner